फा.सं. 332/2/2017 -टीआरयू

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>कर अनुसंधान एकक</u>

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली

दिनांक दिसंबर, 2017

व्यापार जगत, व्यक्तियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होनें वस्तुओं के वर्गीकरण और उन पर लागू जीएसटी की दरों के बारे में स्पष्टीकरण की मांग की है इन संदर्भों पर फिटमेंट कमेटी ने विचार किया है और "फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स" के रूप में स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं अब तक इन "फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स" की तीन श्रृंखलाएं जारी की जा चुकी हैं। इनको व्यापक पैमाने पर प्रचार-प्रसार के लिए 24-07-2017 (21 प्रश्न), 03.08.2017 (34 प्रश्न) और 29.09.2017 (39 प्रश्न) को जारी किया गया है।

2. स्टेकहोल्डर्स से इस बात के लिए भी फीडबैक/अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि इन स्पष्टीकरणों को परिपत्र के रूप में जारी किया जाए ताकि इनका प्रभाव बाध्यकारी हो, तद्नुसार जैसा कि नीचे की सारणी में दिया गया है इस अंतरिम अवधि में जीएसटी की दरों में हुए परिवर्तन की स्थिति को अध्यतन करते हुए इन एफएक्यू को समेकित करके एक परिपत्र के रूप में जारी किया जा रहा है:-

सारणी

क्र.सं0.	प्रश्न	उत्तर
1.	मटन लेग के लिए एचएसएन कोड और दर क्या है**?**	**1.** भेड़ या बकरियों (मटन लेग सहित) के मांस**,** ताजा**,** ठंडे या जमे हुए **[0204** के शीर्ष पर आने वाले जमा और यूनिट कंटेनर में डालकर] जीएसटी से मुक्त हैं । **2.** हालांकि**,** भेड़ या बकरियों के जमे (मटन लेग सहित)**,** और यूनिट कंटेनर में डाले मांस पर **0204** शीर्षक के अंतर्गत 5**%** जीएसटी लगती है । **[**अधिसूचना सं. 41/2017 केंद्रीय कर (दर)**]**

2.	खोया / मावा का जीएसटी दर और एचएसएन कोड क्या है**?**	**1.** केंद्रित दूध **0402** के अंतर्गत आने वाला खोया / मावे पर **5%** जीएसटी लगता है ।
3.	सेल पत्तियों के लिए एचएस कोड जो प्लेट्स बनाने में उपयोग किया जाता है और इसकी जीएसटी दर क्या है **?**	**1.** सेल पत्तियां **0604** के शीर्ष पर वर्गीकृत होती हैं और शून्य जीएसटी को आकर्षित करती हैं
4.	नमक के साथ मक्खन के दूध में मिर्च के लिए एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है (तमिल में मछली मिलगाई)**?**	**1.** सब्जियां अस्थायी रूप से संरक्षित (उदाहरण के लिए**,** सल्फर डाइऑक्साइड गैस से**,** नमकीन में**,** सल्फर पानी में या अन्य परिरक्षक समाधान में**),** लेकिन तत्काल खपत के लिए उस स्थिति में अनुपयुक्त**, 0711** के शीर्षक के तहत वर्गीकृत होती हैं और इन पर **5%** जीएसटी लगती है । **2.** इस प्रकार**,** नमक के साथ मक्खन के दूध में भिगोई मिर्च (तमिल में मछली मिलगाई) **0711** के अंतर्गत आती है और इन पर **5%** जीएसटी लगती है ।
5.	संगरी का एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है**?**	**1.** संगरी सूखी सब्जी है और एचएस कोड **0712** के तहत आती है । इन पर शून्य जीएसटी लगती है ।
6.	एरिकानट / बीटल नट्स के लिए जीएसटी दर क्या होगी**?**	**1.** ताजा अखरोट / सुपारी शीर्षक **0802** के अंतर्गत आते हैं और इन पर शून्य जीएसटी लगती है । **2.** सूखे अखरोट / सुपारी शीर्षक **0802** के अंतर्गत आते हैं और इन पर **5%** जीएसटी लगती है ।
7.	गीले खजूरों की जीएसटी दर और एचएसएन कोड क्या है **?**	**1.** गीले खजूर 0804 शीर्षक के अंतर्गत आते हैं और इन पर 12**%** जीएसटी लगती है ।

8.	इमली के लिए एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है ?	**1.** इमली[ताजा] **0810** के अंतर्गत आती है और इस पर शून्य जीएसटी लगती है । **2.** इमली[सूखी] **0813** के अंतर्गत आती है । **3. 22.09.2017** से पूर्व इमली [सूखी] पर **12%** जीएसटी लगता था । **4. 22.09.2017** से, सूखी इमली पर **5%** जीएसटी लगता है । [अधिसूचना सं0. **27/2017** केन्द्रीय कर (दर)]
9.	मेथी दाना(सूखा) और धनिया (सूखा) का एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है ?	**1.** मेथी पत्ता (सूखी) अर्थात् सूखी फेनुग्रीक लीव्स और धनिया पत्ता अर्थात् कोरियेन्डर लीव्स मसाले हैं जो एचएस कोड 0910 के अंतर्गत आते हैं और इन पर 5**%** जीएसटी लगता है ।
10.	हल्दी पर एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है?	**1.** संसाधित स्वरूप के अलावा ताजा हल्दी, एचएस कोड 0910 के अंतर्गत आते हैं और इन पर 5**%** जीएसटी लगता है । **2.** सूखी या जमीनी हल्दी पर 5**%** जीएसटी लगता है ।
11.	मक्का बीजों हेतु एचएस कोड और इसका जीएसटी दर क्या है?	**1.** मक्का [बीज की गुणवत्ता का] **1005** शीर्षक के अंतर्गत आता है और इस पर शून्य जीएसटी लगता है ।
12.	बीज बोने के उद्देश्य के लिए धान, गेहूं के बीज पर जीएसटी की दर क्या है?	**1.** बीज बोने के उद्देश्य के लिए धान, गेहूं के बीजों पर जीएसटी की दर शून्य है ।
13.	कोपरा और सूखे नारियल का एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है?	**1.** ताजे अथवा सूखे नारियल, चाहे खोल सहित हों अथवा रहित, शीर्षक 0801 के अंतर्गत आते हैं और इन पर शून्य जीएसटी लगता है। एचएसएन स्पष्टीकरण नोट्स के अनुसार, शीर्षक खोपरा में नारियल तेल (1203) की अभिव्यक्ति हेतु प्रयुक्त नारियल के सूखे छीलन शामिल नहीं हैं । **2.** कोपरा 1203 शीर्षक के अंतर्गत आता है और इस पर 5**%** जीएसटी लगता है ।

14.	इमली गुठली हेतु एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है **?**	**1.** बीज गुणवत्ता की इमली गुठली पर शून्य जीएसटी लगता है जबकि **2.** बीज गुणवत्ता के अलावा इमली गुठली पर **5%** जीएसटी लगता है ।
15.	इस्बगोल बीजों हेतु एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है **?**	**1.** इस्बगोल बीज शीर्षक 1211 के अंतर्गत आते हैं । **2.** ताजा इस्बगोल बीज पर शून्य जीएसटी लगता है । **3.** सूखे अथवा जमे इस्बगोल पर 5**%** जीएसटी लगता है ।
16.	इस्बगोल भूसी हेतु एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है **?**	**1.** इस्बगोल भूसी 1211 के अंतर्गत आती है और इस पर 5**%** की दर से जीएसटी लगता है ।
17.	महुआ फूल हेतु एचएस कोड और इसकी जीएसटी दर क्या है **?**	**1.** महुआ फूल शीर्षक 1212 के अंतर्गत आते हैं और इन पर 5**%** की दर से जीएसटी लगता है ।
18.	गन्ने के बीज और गन्ने पर जीएसटी की दर क्या है**?**	**1.** बीजाई सहित ताजा अथवा ठंडे गन्ने एचएस कोड 1212 के अंतर्गत आते हैं और इन पर शून्य दर की जीएसटी लगती है ।
19.	धान भूसी पर एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है और क्या यह चावल की भूसी से भिन्न है **?**	**1.** बिना तैयार, चावल की कुंडियां या चावल के हुल्लों सहित, अनाज का भूरा और भूसी, चाहे कटे, जमीनी, दबाए हुए अथवा छर्रों के रूप में हों अथवा नहीं, एचएस कोड **1213** के अंतर्गत आते हैं और इन पर शून्य जीएसटी लगता है । **2.** चावल की भूसी एचएस कोड 2302 के अंतर्गत आती है और यदि पशु के चारे के रूप में इसकी आपूर्ति होती है तो शून्य जीएसटी लगती है अथवा यदि अन्य उद्देश्यों हेतु इसकी आपूर्ति की जाती है तो 5**%** की दर से जीएसटी लगती है ।

20.	इमली गुठली पाउडर हेतु एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है?	**1.** इमली गुठली पाउडर शीर्षक 1302 के अंतर्गत आता है और इस पर 18% जीएसटी लगता है ।
21.	सबाई घास(रस्सी, टोकरी, इत्यादि बनाने के लिए प्रयोग किये जाने वाली घास की एक किस्म) का एचएस कोड और इसकी जीएसटी दर क्या है ?	**1.** सबाई घास गूंथन सामग्री के रूप में प्रयोग की जाती है और 1401 शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकरणीय है तथा इस पर 5% जीएसटी लगती है ।
22.	सॉसेज़ हेतु एचएसएन कोड और दरें क्या हैं ?	**1.** मांस, मांस अपशिष्ट या रक्त के सॉसेज और इसी तरह के उत्पाद; इन उत्पादों पर आधारित भोजन सामग्री शीषर्क 1601के अंतर्गत आती हैं और इन पर 12% जीएसटी लगती है ।
23.	पीनट चिक्की, राजगीरा चिक्की, तिल चिक्की, और शक्करपारा का एचएस कोड और इन पर जीएसटी की दर क्या है ?	**1.** एचएस स्पष्टीकरण नोट्स के अनुसार, एचएस कोड 1704 में अधिकांश शक्कर सामग्री आती है जो आम तौर पर तत्काल खपत के लिए उपयुक्त है और सामूहिक रूप से मिठाई, हलवाई की दुकान या कैंडीज के रूप में संदर्भित किया जाता है, का एक ठोस या अर्द्ध ठोस स्वरूप में विपणन किया जाता है । **2.** 15.11.2017 से पूर्व पीनट चिक्की, राजगीरा चिक्की, तिल चिक्की और शक्करपारा पर 18% की दर से जीएसटी लगती थी। **3.** 15.11.2017 से पीनट चिक्की, राजगीरा चिक्की, तिल चिक्की और शक्करपारा पर 5% की दर से जीएसटी लगती है। [अधिसूचना सं. 41/2017- केंद्रीय कर (दर)]
24.	चॉकलेट 'संदेश' बंगाली मिष्टी पर जीएसटी दर क्या है ?	**1.** संदेश, चाहे चॉकलेट वाला हो अथवा नहीं पर 5% जीएसटी लगती है ।
25.	खारी और कठोर मक्खन हेतु एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है ?	**1.** खारी और कठोर मक्खन **1905** शीर्षक के अंतर्गत आते हैं और इन पर 18% जीएसटी लगता है ।

26.	कॉफी हेतु एचएसएन कोड और दरें क्या हैं **?**	**1.** त्वरित कॉफी 2101 शीर्षक के अंतर्गत आते हैं और इन पर 18**%** जीएसटी लगती है । **[**अधिसूचना सं. 41/2017 केंद्रीय कर (दर)**]**
27.	कुल्फी हेतु एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है**?**	**1.** कुल्फी शीर्षक 2105 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है और इस पर 18**%** जीएसटी लगता है ।
28.	इडली डोसा बैटर (सूखा आटा) हेतु एचएस कोड क्या है और इसकी जीएसटी दर क्या है**?**	**1.** इडली डोसा बैटर (सूखा आटा) **[**खाद्य मिश्रण के रूप में**]** 2106 शीर्षक के अंतर्गत आता है। **2.** 15.11**.2017** से पूर्व**,** इडली डोसा बैटर पर 12**%** जीएसटी लगता था । **3.** 15.11**.2017** से**,** इडली डोसा बैटर पर 5**%** जीएसटी लगता है । **[**अधिसूचना सं0. 41**/2017** केन्द्रीय कर **(**दर**)]**
29.	एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत पोषक आहार (पुष्टाहार) को वितरित करने पर एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है**?**	**1.** चूंकि**,** एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत वितरित पुष्टाहार**,** प्रोटीन**,** विभिन्न अनाज**,** गेहूं का आटा**,** चीनी आदि का मिश्रण है तो यह एचएस कोड 2106 के अंतर्गत आता है न कि 1901 के अंतर्गत । **2. 13.10.2017** से पूर्व**,** पुष्टाहार पर 18**%** जीएसटी लगता है । **3. 13.10.2017** से**,** यूनिट कंटेनरों में भोजन की तैयारी और केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार (पुष्टाहार सहित) द्वारा अनुमोदित एक कार्यक्रम के तहत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त वितरण अध्याय 19 अथवा 21 के अंतर्गत आता है जिस पर निर्दिष्ट शर्तों [अधिसूचना सं0. 39/2017-केंद्रीय कर (दर)] के अध्यधीन 5**%** जीएसटी लगती है ।
30.	छेना उत्पादों**,** हलवा**,** बर्फी (अर्थात् खोया उत्पाद)**,** लड्डू पर एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है **?**	**1.** हलवा**,** बर्फी (अर्थात् खोया उत्पाद)**,** लड्डू जैसे उत्पाद एचएस कोड 2106 के अंतर्गत आते हैं**,** ये मिठाइयां हैं और इन पर 5**%** जीएसटी लगती है ।

31.	शर्बत पर एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है**?**	**1.** शर्बत एचएस कोड 2106 के अंतर्गत आता है और इस पर 18**%** जीएसटी लगती है ।
32.	'खाखरा' (पारंपरिक भोजन) पर जीएसटी दर क्या है**?**	**1.** "नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, चबेना और इसी तरह के उपभोग हेतु तैयार खाद्य पदार्थ" के अंतर्गत आने वाला खाखरा 2106 90 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है । **2. 13.10.2017** से पूर्व, खाखरा पर 12**%** जीएसटी लगता था । **3. 13.10.2017** से खाखरा पर 5**%** जीएसटी लगता है । **[**अधिसूचना सं0.**34/2017** केन्द्रीय कर (दर)**]**
33.	भुने चनों की जीएसटी दर और एचएसएन कोड क्या है **?**	**1.** भुने चने **2106 90** के अंतर्गत आते हैं । **2. 22.09.2017** से पूर्व भुने चनों पर 12**%** जीएसटी लगती थी । **3. 22.09.2017** से, भुने चनों पर 5**%** जीएसटी लगती है । **[**अधिसूचना सं0. **27/2017** केन्द्रीय कर (दर)**]**
34.	शीतल पेय यानी वायुकृत पेय हेतु एचएसएन कोड और दरें क्या हैं **?**	**1.** अतिरिक्त चीनी या अन्य मधुर या स्वादयुक्त पदार्थ वाले सभी 2202 10 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं [वातित जल सहित], पर 28**%** जीएसटी और 12**%** उपभोग उपकर लगता है ।
35.	चावल की भूसी हेतु जीएसटी दर क्या है **?**	**1.** चावल की भूसी एचएस कोड 2302 के अंतर्गत आती है । **2.** जलीय खाद्य और झींगा फ़ीड, पोल्ट्री फीड और मवेशियों के भोजन सहित जलीय खाद्य के रूप में उपयोग के लिए चावल की भूसी पर शून्य जीएसटी लगता है । **3.** अन्य उपयोगों हेतु चावल की भूसी पर 5**%** जीएसटी लगता है ।

36.	'चावल की भूसी' से वनस्पति तेल के निष्कर्षण के दौरान उत्पादित "डी-तेलयुक्त चावल की भूसी" पर जीएसटी दर क्या है?	**1.** एचएस कोड **2306** में चावल के चोकर से तेल निष्कर्षण के बाद अवशेष के रूप में हासिल डी-तेलयुक्त चावल की भूसी शामिल है । **2.** पशुओं के भोजन के रूप में प्रयोग हेतु आपूर्ति की गई डी-तेलयुक्त भूसी पर शून्य जीएसटी लगता है । **3.** अन्य उपयोगों हेतु डी-तेलयुक्त चावल भूसी पर 5**%** जीएसटी लगता है ।
37.	कपास बीज के तेल केक हेतु एचएस कोड और जीएसटी दरें क्या हैं ?	**1.** कपास बीज के तेल केक एचएस कोड 2306 के अंतर्गत आते हैं । **2.** **22.09.2017** से पूर्व, **(i)** चिंराट फ़ीड और झींगे, पोल्ट्री फीड और पशु फ़ीड सहित जलीय खाद्य के रूप में उपयोग करने के लिए कपास के बीज के तेल केक पर शून्य जीएसटी लगता है; और **(ii)** अन्य उपयोगों हेतु कपास के बीज के तेल केक पर 5**%** जीएसटी लगता है । **3.** **22.09.2017** से कपास के बीज के तेल केक पर शून्य जीएसटी लगता है। **[**अधिसूचना सं0. **28/2017** केन्द्रीय कर (दर)**]**
38.	पालतु कुत्ते अथवा बिल्ली के भोजन हेतु एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है ?	**1.** कुत्ते अथवा बिल्ली का भोजन 2309 शीर्षक के अंतर्गत आते हैं और इन पर अनुसूची **IV** की अवशिष्ट प्रविष्टि क्र0.सं0. 453 के अंतर्गत 18**%** जीएसटी लगती है ।
39.	आयातित कोयले पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर दर क्या है ?	**1.** आयातित कोयले पर 400 रू0 प्रति टन की दर से जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगेगा ।
40.	हस्त निर्मित ब्रांडेड बिड़ी पर जीएसटी दर क्या है ?	**1.** सभी बीड़ी पर 28**%** जीएसटी लगता है । **2.** इसके अलावा, हस्त निर्मित बीड़ियों पर 1 रू0 प्रति हजार का एनसीसीडी लगता है और मशीन से बनी बीड़ियों पर 2 रू0 प्रति हजार का एनसीसीडी लगता है ।

41.	क्या 1 जुलाई, 2017 से तम्बाकू उत्पादों पर एनसीसीडी उद्ग्रहणीय है **?** एनसीसीडी के उद्ग्रहण हेतु मूल्यांकन की प्रणाली क्या होगी **?**	**1.** **1** जुलाई, 2017 से पूर्व यथा अनुप्रयोज्य दरों पर तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर उद्ग्रहण किया जाना जारी रहेगा । **2.** चूंकि एनसीसीडी एक उत्पाद शुल्क है, प्रभारण के उद्देश्य से उत्पाद शुल्क, एनसीसीडी वसूलने के उद्देश्यों हेतु मूल्यांकन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के अंतर्गत मूल्यांकन के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अनुसार होगा ।
42.	शीर्षक **2401** के अंतर्गत आने वाली तम्बाकू पत्तियों पर किसी किसान आपूर्ति के संबंध में विलोम प्रभार आधार पर 5**%** जीएसटी लगती है । तम्बाकू पत्तियों का क्या अर्थ है **?**	**1.** **5%** की जीएसटी दर हेतु, तम्बाकू पत्तियों से तात्पर्य ऐसे तम्बाकू के पत्ते या टूटे तंबाकू के पत्ते या तंबाकू पत्ते के डंठल से है।
43.	क्या स्टरलाइज़ेशन पाउचों को सड़न रोकने वाला पैकेजिंग पेपर माना जा सकता है**?** स्टरलाइज़ेशन पाउचों पर जीएसटी दर क्या है**?**	**1.** स्टरलाइज़ेशन पाउच सड़न रोकने वाले पैकेजिंग पेपर से भिन्न हैं । **2.** स्टरलाइज़ेशन पाउच **3005** के अंतर्गत आते हैं और इन पर 12**%** जीएसटी लगती है ।
44.	नेल पॉलिश पर जीएसटी दर क्या है **?**	**1.** नेल पॉलिश **[**चाहे बड़ी मात्रा में कहें तो **50** से **100** लीटर या खुदरा पैकों में**]** शीर्षक **3304** के अंतर्गत आती है। **2.** 15.11.2017 से पूर्व नेल पॉलिश पर 28**%** की दर से जीएसटी लगती थी । **3.** 15.11.2017 से नेल पॉलिश पर 18**%** की दर से जीएसटी लगती है। **[**अधिसूचना सं. 41/2017- केंद्रीय कर (दर)**]**
45.	लोभान पर जीएसटी दर क्या है **?**	**1.** लोभान एचएस कोड **3307 41 00** के अंतर्गत वर्गीकृत है ।

		2. 22.09.2017 से पूर्व**,** लोभान पर 12**%** जीएसटी लगता है । **3. 22.09.2017** से**,** लोभान पर 5**%** जीएसटी लगता है **[**अधिसूचना सं**0. 27/2017** केन्द्रीय कर (दर)**]**
46.	बच्चों के लिए पोंछे हेतु एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है **?**	**1.** बेबी वाइप्स को उस सामग्री जिनसे इनको बनाया जाता है इमप्रेगनेटिंग वस्तुओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता हैः (**i**) 15.11.2017 से पूर्व बेबी वाइप्स जोकि पेपर वेडिंग से बने होते हैं और साबुन या डिटर्जेंट से कोटेड होते है चाहे ये परफ्यूम्ड हो या नहीं, या खुदरा बिक्री के लिए हो या नहीं, एचएस कोड **3401** के अंतर्गत आते हैं और उन पर 28**%** जीएसटी लगती थी । 15.11.2017 से इन पर 18**%** की जीएसटी लगती है। **[**अधिसूचना सं. 41/2017 केंद्रीय कर (दर)**]** (**ii**) और**,** वे जोकि वेडिंग, फेल्ट नॉनवॉवेंस, इमप्रेगनेटेड, कोटेड या कवर्ड, परफ्यूम से हो या कास्मेटिक्स एचएस कोड **3307** के अंतर्गत आते हैं और उन पर 18**%** जीएसटी लगती है ।
47.	कार्बनिक सतह-सक्रिय एजेंट के लिए एचएस कोड क्या है और इसकी जीएसटी दर क्या है **?**	**1.** कार्बनिक सतह-सक्रिय उत्पाद या निर्माण अथवा एजेंट्स शीर्षक 3401 अथवा3402 के अंतर्गत आते हैं । **2.** साबुन**;** उपयोग हेतु कार्बनिक सतह-सक्रिय उत्पाद और तैयारियां तथा बार, केक**,** ढाला या आकार के रूप में साबुन शीर्षक **3401 [**सिवाए **3401 30]** के अंतर्गतआते हैं और इन पर 18**%** जीएसटी लगता है । **3.** 15.11.2017 से पूर्व अन्य जैविक सतह सक्रिय उत्पाद जोकि उप शीर्ष 3401 30 के अंतर्गत आते हैं और वे जैविक सतह सक्रिय

		एजेंट और उत्पाद जोकि शीर्ष 3202 के अंतर्गत आते है पर 28**%** की दर से जीएसटी लगती थी। **4.** 15.11.2017 से अन्य जैविक सतह सक्रिय उत्पाद जोकि उप शीर्ष 3401 30 के अंतर्गत आते हैं और वे जैविक सतह सक्रिय एजेंट और उत्पाद जोकि शीर्ष 3202 के अंतर्गत आते है पर 18**%** की दर से जीएसटी लगती है। **[**अधिसूचना सं. 41/2017- केंद्रीय कर (दर)**]**
48.	राल लेपित रेत हेतु एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है **?**	**1.** एचएस कोड **3824** फाउंड्री के ढालना या कोर के लिए तैयार बाध्यकारी; रासायनिक उत्पादों की तैयारी और रासायनिक या संबद्ध उद्योगों (जिनमें प्राकृतिक उत्पादों के मिश्रण शामिल हैं) को कवर करता है । **2.** अतः राल लेपित रेत एचएस कोड 3824 के अंतर्गत आता है और इस पर 18**%** जीएसटी लगता है ।
49.	प्लास्टिक की स्टिक फाइल, प्लास्टिक के दस्तावेज़ बैग और प्लास्टिक के प्रमाण पत्र बैग के लिए वर्गीकरण और जीएसटी दर क्या है**?**	**1.** ये मद एचएस कोड 3926 के अंतर्गत आते हैं और इन पर 28**%** का जीएसटी लगता है। **2.** 15.1.2017 से पूर्व प्लास्टिक के स्टिक फाइल, प्लास्टिक के डाक्यूमेंट बैग और प्लास्टिक के सर्टिफिकेट बैग पर 28**%** की दर से जीएसटी लगती थी। **3.** 15.1.2017 से प्लास्टिक के स्टिक फाइल, प्लास्टिक के डाक्यूमेंट बैग और प्लास्टिक के सर्टिफिकेट बैग पर 18**%** की दर से जीएसटी लगती है। **[**अधिसूचना सं. 41/2017- केंद्रीय कर (दर)**]**
50.	चूड़ियों के लिए जीएसटी दर क्या है **?**	**1.** प्लास्टिक चूड़ियाँ शीर्षक 3926 के अंतर्गत आते हैं और इन्हें जीएसटी से छूट प्राप्त है ।

		2. कांच की चूड़ियाँ (बेशकीमती धातुओं से बने उन लोगों के अलावा) शीर्षक 7018 के अंतर्गत आती हैं और ये जीएसटी से छूट प्राप्त हैं । **3.** लॉख या सेलॉख की चूड़ियों को शीर्ष 7117 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और इन पर शून्य दर से जीएसटी लगता है। [अधिसूचना सं. 41/2017- केंद्रीय कर (दर)] **4.** आधार धातु की चूड़ी, चाहे कीमती धातुओं के साथ चढ़ाव हो या नहीं, टैरिफ मद **7117 19 10** के अंतर्गत आती है और इन पर 3% जीएसटी लगता है ।
51.	बालों के रबड़ बैंड पर जीएसटी दर क्या है ?	**1.** बालों के रबड़ बैंड शीर्षक 4016 के अंतर्गत आते हैं । **2.** **22.09.2017** से पूर्व, रबड़ बैंड पर 28% जीएसटी लगता है । **3.** **22.09.2017** से, रबड़ बैंड पर 12% जीएसटी लगता है ।[अधिसूचना सं0. **27/2017** केन्द्रीय कर (दर)]
52.	स्कूल या कार्यालयों में उपयोग के लिए जूट और खादी बैग का एचएस कोड क्या है ?	**1.** जूट बैग एचएस कोड **4202 22 30** के अंतर्गत और खादी/सूती बैग एचएस कोड **4202 22 20** के अंतर्गत आते हैं। **2.** 15.11.2017 से पूर्व जूट बैग और खादी/सूती बैग पर 18% की दर से जीएसटी लगती थी। **3.** 15.11.2017 से जूट बैग और खादी/सूती बैग पर 12% की दर से जीएसटी लगती थी। [अधिसूचना सं0. 41/2017 केन्द्रीय कर (दर)]
53.	मलेशिया साल और मारंदी लकड़ी की कच्ची और संसाधित लकड़ी का जीएसटी दर और एचएसएन कोड क्या है?	**1.** किसी न किसी में लकड़ी, छाल या सैपवुड छीनने या नहीं, या मोटे तौर पर चुकता शीर्षक 4403 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है और इन पर 18% का जीएसटी लगता है ।

54.	खाने के लिए थाली के रूप में "सिलेटेड साल लीफ प्लेट" पर जीएसटी कर की दर क्या है**?**	**1.** सिले हुए साल पत्ते प्लेट्स सहित सामग्री पट्टा करने वाले लेख एचएस कोड **4602** के तहत आते हैं । **2. 22.09.2017** से पूर्व**,** साल लीफ प्लेट्स पर 12**%** जीएसटी लगता है । **3. 22.09.2017** से**,** साल लीफ प्लेट्स पर 5**%** जीएसटी लगता है । **[**अधिसूचना सं**0. 27/2017** केन्द्रीय कर (दर)**]**
55.	सबाई घास से बनी रस्सियों/बास्केट पर जीएसटी कर की दर क्या है**?**	**1.** बास्केट सहित सामग्री को पट्टा करने वाले लेख**,** एचएस कोड **4602** के तहत आते हैं। **2. 22.09.2017** से पूर्व**,** बास्केट सहित सामग्री की आपूर्ति पर **12%** जीएसटी लगता है । **3. 22.09.2017** से**,** बास्केट सहित प्लेटिंग सामग्री पर 5**%** जीएसटी लगता है । **[**अधिसूचना सं**0. 27/2017** केन्द्रीय कर (दर)**]**
56.	एक दवा कंपनी के मुद्रित पेपरबोर्ड मोनो दफ़्ती/डब्बी के लिए जीएसटी दर क्या होगी और गैर-नालीदार दफ़्ती और नालीदार दफ़्ती के लिए जीएसटी दर क्या होगी**?**	**1.** कोरूगेटेड पेपर या पेपर बोर्ड से बने कार्टन्स, डिब्बों**,** बक्से शीर्ष 4819 के अंतर्गत आते हैं और इन पर 12**%** की दर से जीएसटी लगती है । **2.** नॉन-कोरूगेटेड पेपर या पेपर बोर्ड से बने कार्टन्स, डिब्बों**,** बक्से शीर्ष 4819 के अंतर्गत आते हैं और क्रम सं. 453 की अवशिष्ट प्रविष्टि के तहत इन पर 18**%** की दर से जीएसटी लगती है ।
57.	एमईआईएस**,** एसईआईएस और आईईआईएस जैसे निर्यात प्रोत्साहन लाइसेंसों की बिक्री के लिए वर्गीकरण और जीएसटी दर क्या है**?**	**1.** ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप **[**एमईआईएस आदि**] 4907** शीर्षक के अंतर्गत आता है । **2. 22.09.2017** से पूर्व**,** ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप **[**एमईआईएस आदि**]** पर 12**%** जीएसटी लगता था । **3. 22.09.2017** से**,** ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप **[**एमईआईएस आदि**]** पर 5**%** जीएसटी लगता था । **[**अधिसूचना सं**0. 27/2017** केन्द्रीय कर (दर)**]**

		4. 13.10.2017 से, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप [एमईआईएस आदि] पर शून्य जीएसटी लगता है। [अधिसूचना सं0. 35/2017 केन्द्रीय कर (दर)]
58.	तस्वीरें / छवियों आदि के साथ पोस्टर, जिसे लेपित / अनकोएटेड पेपर पर डिजिटल ऑफसेट प्रेस / डिजिटल प्रिंटर के माध्यम से मुद्रित किया गया है, के लिए वर्गीकरण और जीएसटी दर क्या है?	1. ये आइटम एचएस कोड **4911** के तहत आते हैं और इन पर **12%** जीएसटी लगता है ।
59.	चित्रित/चित्र आदि के साथ पोस्टर लिखित कपास / मिश्रित कैनवास मीडिया या अन्य सिंथेटिक मीडिया पर डिजिटल प्रिंटर पर मुद्रित किया जाता है, के लिए वर्गीकरण और जीएसटी दर क्या है ?	1. ये आइटम एचएस कोड **4911** के तहत आते हैं और इन पर **12%** जीएसटी लगता है ।
60.	शीट या रोल फॉर्म में बिके मुद्रित कागज पर डिजिटल ऑफसेट प्रेस / डिजिटल प्रिंटर के माध्यम से मुद्रित तस्वीरों के लिए वर्गीकरण और जीएसटी दर क्या है ।	1. ये आइटम एचएस कोड **4911** के तहत आते हैं और इन पर **12%** जीएसटी लगता है ।
61.	मुद्रित मेनू कार्ड एकल शीट, गुना या टुकड़े टुकड़े या मल्टी शीट के साथ आती है, जिसका आतिथ्य उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले या बिना कवर के एक किताब	1. ये आइटम एचएस कोड **4911** के तहत आते हैं और इन पर **12%** जीएसटी लगता है ।

<table>
<tr><td></td><td>के लिए वर्गीकरण और जीएसटी दर क्या है ?</td><td></td></tr>
<tr><td>62.</td><td>प्रिंटिंग पेपर पर डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस [फोटो एलबम के अलावा] और उसके बाद मैन्युअल रूप से बाध्यता पर मुद्रित फोटो पुस्तकों के लिए वर्गीकरण और जीएसटी दर क्या है?</td><td>1. ये आइटम एचएस कोड 4911 के तहत आते हैं और इन पर 12% जीएसटी लगता है ।</td></tr>
<tr><td>63.</td><td>साड़ी और धोती के लिए एचएस कोड और उसका जीएसटी दर क्या है ?</td><td>1. साड़ी और धोती अपने घटक के आधार पर विभिन्न शीर्षकों के तहत वर्गीकृत हैं और इन पर निम्नानुसार जीएसटी दर लगती है:

<table>
<tr><td>घटक रेशा</td><td>विवरण</td><td>एचएस कोड</td><td>जीएसटी दर</td></tr>
<tr><td>रेशम</td><td>रेशम के बुने हुए कपड़े - साड़ी</td><td>5007</td><td>5%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">सूती</td><td>200 जीएसएम से अधिक नहीं</td><td>5208</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>200 जीएसएम से अधिक</td><td>5209</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>मानव निर्मित यार्न तंतुओं</td><td>किसी भी जीएसएम का</td><td>5407 या 5408</td><td>5%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		2. तथापि, एचएस कोड 5809 के तहत मेटल धागे या धातुई यार्न की बुनी हुई साड़ियों पर जीएसटी दर 12% है ।
64.	कढ़ाई वाली साड़ी, चिकन काम के साथ साड़ी, बनारसी शृंखला और अन्य साड़ी पर जीएसटी की दर क्या होगी?	1. रेशम, कपास या मानव निर्मित रेशम की सभी साड़ियों पर जीएसटी की दर [चाहे उन पर कढ़ाई या चिकन कार्य हो या नहीं] 5% है । 2. तथापि, एचएस कोड 5809 के अंतर्गत मेटल धागे या धातुई यार्न के बुने हुए की बुनी हुई साड़ियों पर जीएसटी दर 12% है ।
65.	सूती जुने कारोबार के लिए, कच्चे कपास पर 5% जीएसटी रिवर्स चार्ज के आधार पर कारखानों द्वारा सीधे भुगतान किया जाएगा या एजेंट को भुगतान किया जाएगा और बाद में उसका दावा किया जाएगा? (अपंजीकृत किसान और कारखानों के बीच मध्यस्थ होने वाला एजेंट).	1. यदि कच्चे कपास की बिक्री किसी कृषक द्वारा किसी पंजीकृत व्यक्ति को आपूर्ति की जाती है(कहें तो कोई निर्माता अथवा डीलर), तो ऐसा पंजीकृत व्यक्ति रिवर्स चार्ज के आधार पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है । अन्य मामलों में, जीएसटी कच्चे कपास की आपूर्तिकर्ता द्वारा अदा की जानी है ।
66.	क्या कच्चे कपास पर 5% जीएसटी रिवर्स चार्ज के आधार पर कारखानों द्वारा सीधे भुगतान की जाएगी और इसका भुगतान कौन करेगा?	1. जहां किसी कृषि उत्पादक द्वारा किसी पंजीकृत व्यक्ति को कच्चे कपास की आपूर्ति होती है [केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 (7) के अंतर्गत यथा परिभाषित) रिवर्स चार्ज के आधार पर इस तरह के पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जीएसटी का भुगतान करना होगा ।
67.	पैंट के लिए 1.2 मीटर कट का एक कपड़ा और एक कमीज के लिए 1.2 मीटर कट का एक कपड़े के लिए	1. चाहे कट टुकड़ों के रूप में हो या नहीं निर्दिष्ट कपड़े पर 5% जीएसटी लगता है ।

	एचएसएन कोड और जीएसटी दर क्या है ?	
68.	जूट यार्न और जूट सुतली पर जीएसटी दर क्या है ? जूट बैग और जूट के कपड़े पर जीएसटी दर क्या है ?	**1.** एचएसएन स्पष्टीकरण संबंधी नोट्स के अनुसार, **20,000** डीसीटेक्स या उससे कम माप वाले जूट फाइबर के माल शीर्षक **5307** के अंतर्गत यार्न के रूप में वर्गीकृत होते हैं और इन पर **5%** जीएसटी लगती है । **2.** **20,000** से अधिक डिसीटेक्स की माप वाले जूट फाइबर के माल शीर्षक **5607** के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं और इन पर **12%** जीएसटी लगती है । **3.** माल की पैकिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली एक प्रकार की बोरियां और बैग शीर्षक **6305** के अंतर्गत वर्गीकृत हैं और इन पर **5% / 12%** जीएसटी लगती है, जो 1000 रू0 प्रति पीस से अधिक नहीं अथवा उनके बिक्री मूल्य के आधार पर होता है । **4.** जूट के बुने हुए कपड़े **5310** शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत हैं और इन पर **5%** जीएसटी लगता है, जिसपर अप्रयुक्त आईटीसी की कोई वापसी नहीं होती।

(महिपाल सिंह)

तकनीकिअधिकारी (टीआरयू)

69.	मानवनिर्मित फिशनेट सुतली के लिए वर्गीकरण और जीएसटी दर क्या है?	**1.** एचएसएन स्पष्टीकरण संबंधी नोट्स के अनुसार, मानव निर्मित तंतुओं के माल (अध्याय **54** के दो या अधिक मोनोफीलामेंट्स सहित) जिनकी माप **10,000** डीसीटेक्स या उससे कम होती है, यार्न के रूप में अध्याय **54** या **55** के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं । **13.10.2017** से पूर्व, इनके अंतर्गत आने वाले यार्न पर **18%** जीएसटी लगता था । **13.10.2017** से, इन पर दर को घटाकर **12%** किया गया है । **2.** मानव निर्मित तंतुओं के माल (अध्याय **54** के दो या अधिक मोनोफीलामेंट्स सहित) जिनकी माप **10,000** डीसीटेक्स से अधिक होती है, सुतली के रूप में शीर्षक 5607 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं और इन पर 12% जीएसटी लगती है । **3.** मछली मारने की जालियों को शीर्ष 5608 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और इन पर 5% की दर से जीएसटी लगती है । [अधिसूचना सं. 41/2017 केंद्रीय कर (दर)]
70.	निम्नलिखित का एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है: क) स्ट्रिप्स, टुकड़ा या रूपांकनों में कढ़ाई या चिकन काम; ख) कढ़ाई या चिकन काम के साथ कपड़े; ग) वस्त्र या कढ़ाई या चिकन काम के साथ वस्त्रों के बने प्रकार ?	**1.** स्ट्रीप, टुकड़ा या रूपांकनों में चिकन काम सहित कढ़ाई का एचएस कोड **5810** है और इन पर 12% जीएसटी लगता है । **2.** कढ़ाई या चिकन काम के साथ कपड़े अध्याय 50 से 55 के अंतर्गत आते हैं और इन पर **5%** जीएसटी लगता है । **3.** वस्त्र या कढ़ाई या चिकन काम के साथ वस्त्रों के बने प्रकार अध्याय 61 से 63 के अंतर्गत आते हैं । वस्त्र या इससे बनाए गए कपड़े जिनकी कीमत 1000 रू0 तक की हो, पर 5% जीएसटी लगता है । वस्त्र या इससे बने कपड़े

		जिनका विक्रयमूल्य 1000 रू0 से अधिक हो पर 12% जीएसटी लगता है ।
71.	प्रति पीस **1000** रू0 तक बिक्री मूल्य वाले तैयार कपड़ों पर 5% जीएसटी लगता है । प्रति पीस **1000** रू0 से अधिक बिक्री मूल्य वाले तैयार कपड़ों पर 12% जीएसटी लगता है । कोई आपूर्तिकर्ता क्या रेडीमेड कपड़ों पर चार्ज किया जाए को तय करता है?	**1.** संबंधित प्रविष्टियों में निर्दिष्ट बिक्री मूल्य लेनदेन के मूल्य को संदर्भित करता है न कि ऐसे रेडीमेड कपड़ों के खुदरा बिक्री मूल्य को। **2.** अत:, यदि कोई थोक व्यापारी खुदरा विक्रेता को **950** रूपए प्रति लेनदेन मूल्य के लिए रेडीमेड कपड़ों की आपूर्ति करता है, तो इस तरह के रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी का शुल्क **5%** होगा । **3.** तथापि, यदि खुदरा व्यापारी **1100** रूपए प्रति पीस पर इस तरह के रेडीमेड कपड़ों को बेचता है, तो इस तरह के रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी का अधिभार **12%** होगा ।
72.	**500** रुपये प्रति जोड़ी [बशर्ते कि ऐसा खुदरा बिक्री मूल्य अमिट रूप से चिह्नित या फुटवेअर पर ही उभरा हो] तक के खुदरा बिक्री मूल्य के किसी फुटवियर पर जीएसटी 5% लगती है । क्या उपरोक्त संदर्भित खुदरा बिक्री मूल्य में जीएसटी शामिल है?	**1.** लीगल मैट्रोलॉजी (पैकेज किए गए पण्य) नियमावली, **2011** के अनुसार, खुदरा मूल्य से तात्पर्य [आरएसपी] अधिकतम मूल्य जिस पर पैकेज किए गए फॉर्म में वस्तु को उपभोक्ता को बेचा जा सकता है और इसमें सभी कर शामिल हों । **2.** इस प्रकार, पैकेज पर घोषित खुदरा बिक्री मूल्य में जीएसटी शामिल है। **3.** जूते की जीएसटी यदि आरएसपी **500**रुपये प्रति जोड़ी से अधिक नहीं हो, **5%** होगी । जीएसटी दर 18% होगी यदि आरएसपी 500 रू0 प्रति जोड़ी से अधिक हो । **4.** तथापि, जीएसटी लेन-देन मूल्य पर देय होगी।
73.	संगमरमर पाउडर, पत्थर और असंतृप्त राल के बने हाथ से बनी सजावटी मूर्तियों और हाथ से बनी सजावटी कलाकृतियों का वर्गीकरण क्या है?	**1.** मार्बल पाउडर, पत्थर और असंतृप्त राल से बने हाथ से बनी सजावटी मूर्तियों और हाथ से बनी सजावटी कलाकृतियों शीर्ष **6802** के अंतर्गत आती हैं । **2.** **22.09.2017** से पूर्व, मार्बल पाउडर, पत्थर और असंतृप्त राल से बने हाथ से बनी सजावटी मूर्तियों और हाथ से बनी सजावटी कलाकृतियों पर **28%** जीएसटी लगता था ।

		3. **22.09.2017** से, इन माल पर **12%** जीएसटी लगता है । **[**अधिसूचना सं**0. 27/2017** केन्द्रीय कर (दर)**]**
74.	लाख या गोलाकार चूड़ियों के लिए एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है **?**	**1.** लाख या गोलाकार चूड़ियां शीर्षक 7117 के अंतर्गत आते हैं। **2.** 15.11.2017 से पूर्व**,** लाख या गोलाकार चूड़ियां पर 3**%** जीएसटी लगता था । **3.** 15.11.2017 से**,** लाख या गोलाकार चूड़ियां पर शून्य जीएसटी लगेगा। **[**अधिसूचना सं**0. 41/2017** केन्द्रीय कर (दर)**]**
75.	सौर पैनल माउंटिंग ढांचे के लिए एचएस कोड और इसकी जीएसटी दर क्या है**?**	**1.** लोहे या स्टील के ढांचे शीर्षक **7308** और एल्यूमीनियम के ढांचे शीर्षक **7610** के अंतर्गत आते हैं और इन पर **18%** जीएसटी लगता है । **2.** सौर पैनल माउंटिंग ढांचे**,** जोकि उस धातु पर निर्गर करती है जिसकी ये बनी होती हैं**, 7308** या **7610** के अंतर्गत आते हैं और इन पर **18%** जीएसटी लगता है।
76.	दो पहिया वाहनों की चेन का वर्गीकरण और लागू जीएसटी दर क्या होगा	**1.** एचएस स्पष्टीकरण के अनुसार**,** एचएस कोड **7315** में निम्नलिखित शामिल हैं: क) साइकिल**,** ऑटोमोबाइल या मशीनरी के लिए ट्रांसमिशन चेन ख) लंगर या लंगर जंजीरों**;** उठाने**,** ढुलाई या रस्सी चेन**;** ऑटोमोबाइल स्किड चेन ग) मेट्रस जंजीरें**,** सिंक स्टॉपर्स**,** शौचालय सिस्टर्न्स आदि के लिए जंजीरें घ) इन सभी जंजीरों को टर्मिनल भागों या सहायक उपकरण के साथ फिट किया जा सकता है(जैसे**,** हुक**,** स्प्रिंग हुक**,** स्विवल्स**,** बंधन**,** सॉकेट्स**,** रिंग्स और स्प्लिट रिंग्स और टी पीसेज़)। ङ) <u>वे लंबाई में काटे जा सकते हैं अथवा नहीं काटे जा सकते हैं या विशेष रूप से विशेष उपयोगों के लिए अभिप्रेत हैं</u> ।

		2. इस प्रकार दो पहिया वाहनों की चेन एचएस कोड 7315 के अंतर्गत आती है और इस पर **18%** जीएसटी लगता है ।
77.	**7315 20, 7315 81, 7315, 82, 7315 89, 7315 90 [**एचएस कोड **7315]** के अंतर्गत आने वाले लोहे या स्टील की चेन और उसके पार्ट्स पर 18**%** जीएसटी लगता है । **7315 11 00, 7315 20** और **7315 19 00** के अंतर्गत आने वाले लोहे या स्टील की चेन और उसके पार्ट्स पर जीएसटी की दर क्या है**?**	**1. 7315 11 00, 7315 20** और **7315 19 00** के अंतर्गत आने वाले लोहे या स्टील की चेन और उसके पार्ट्स पर जीएसटी दरों के निर्धारण वाली अधिसूचना की अनुसूची **III** की अवशिष्ट प्रविष्टि क्र0.सं0. 453 के अंतर्गत 18**%** जीएसटी लगती है ।
78.	कृषि कुदाल पर जीएसटी दर क्या है **?**	**1.** ये हाथ के कृषि औजार हैं । **2.** हाथ के कृषि औजार 8201 के अंतर्गत आते हैं और इन पर शून्य जीएसटी लगता है ।
79.	फिल्टर या वॉटर प्यूरीफायर हेतु एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है **?**	**1.** फिल्टर या वॉटर प्यूरीफायर शीर्षक 8421 के अंतर्गत आते हैं तथा इन पर 18**%** जीएसटी लगता है ।
80.	**8432, 8433, 8434** और **8436** एचएस कोड के अंतर्गत आने वाली मशीनों के पार्ट्स के एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है**?**	**1.** एचएस कोड **8432, 8433, 8434** और **8436** के अंतर्गत आने वाली मशीनों पर **12%** जीएसटी लगता है । **2.** तथापि, एचएस कोड **8432, 8433, 8434** और **8436** के अंतर्गत आने वाली ऐसी मशीनों के पार्ट्स पर जीएसटी दरों के निर्धारण वाली अधिसूचना की अनुसूची **III** की अवशिष्ट

		प्रविष्टि क्र0.सं0. 453 के अंतर्गत 18% जीएसटी लगती है ।
81.	कुट्टी मशीन का एचएस कोड क्या है **?**	**1.** कुट्टी मशीन का एचएस कोड **8436 10 00** है और इस पर **12%** का जीएसटी लगता है।
82.	सिलाई मशीन के पार्ट्स का एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है **?**	**1.** सिलाई मशीन हेतु एचएस कोड 8452 है और इस पर **12%** जीएसटी लगता है । **2.** एचएस कोड **8452** के अंतर्गत आने वाली सिलाई मशीनों के पार्ट्स पर **12%** का जीएसटी लगता है।**[**अधिसूचना सं. 41/2017 केंद्रीय कर (दर)**]**
83.	मेटल एयर कूलर हेतु एचएस कोड और जीएसटी दर क्या है **?**	**1.** मेटल एयर कूलर एचएस कोड 8479 के अंतर्गत आता है और इस पर **18%** जीएसटी लगता है ।
84.	मोबाइल हैंडसेट हेतु बैटरी के लिए एचएसएन कोड और जीएसटी दरें क्या है**?**	**1.** मोबाइल हैंडसेट हेतु बैटरी शीर्षक 8507 के अंतर्गत आता है और इस पर **28%** जीएसटी लगता है ।
85.	इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर्स पर जीएसटी दर क्या है **?**	**1.** विभाजक कारक सहित, चाहे आयताकार हो अथवा नहीं (वर्ग सहित) इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर्स शीर्षक **8507** के अंतर्गत आते हैं और इन पर **28%** जीएसटी लगता है ।**.**
86.	वाकी टाकी सेट्स / रेडियो ट्रंकिंग टर्मिनल के लिए जीएसटी दर क्या है **?**	**1.** वाकी टाकी सेट्स / रेडियो ट्रंकिंग टर्मिनल्स एचएस कोड **8525 60** के अंतर्गत आते हैं। **2.** 15.11.2017 से पूर्व इन पर **28%** जीएसटी लगता था । **3.** 15.11.2017 से इन पर 18**%** जीएसटी लगता है । **[**अधिसूचना सं. 41/2017 केंद्रीय कर (दर)**]** **4.** तथापि, रक्षा, पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले दो-तरफ़ा रेडियो (वॉकी टॉकी) एचएस कोड **8525 60** के

		अंतर्गत आते हैं और इन पर **12%** जीएसटी लगता है ।
87.	इस्तेमाल किये गए रेल वैगन पर जीएसटी दर क्या है ?	**1.** रेलवे वैगन शीर्षक **8606** के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं और इन पर अप्रयुक्त आईटीसी की बिना किसी वापसी के **5%** जीएसटी लगता है । **2.** अत:, इस्तेमाल किए गए वैगन पर भी **5%** जीएसटी लगता है ।
88.	क्या फैक्टरी से किसी एंबुलेंस हेतु आवश्यक सभी फिटमेंट्स, फर्नीचर और उपस्करों के साथ यथासुस्ज्जित एंबुलेंसों के रूप में बनाए गए मोटर वाहनों को ऐसे मोटर वाहनों के विनिर्माण हेतु बिना किसी स्थान-विशेष के आपूर्ति पर क्षतिपूर्ति उपकर से छूट दी जाएगी	**1.** एचएस कोड 8703 विशेष वाहनों को समाविष्ट करता है जिसमें एम्बुलेंस भी शामिल हैं । **2.** फैक्टरी से किसी एंबुलेंस हेतु आवश्यक सभी फिटमेंट्स, फर्नीचर और उपस्करों के साथ यथासुस्ज्जित एंबुलेंसों के रूप में बनाए गए मोटर वाहनों को ऐसे मोटर वाहनों के विनिर्माण हेतु बिना किसी स्थान-विशेष के आपूर्ति पर क्षतिपूर्ति उपकर से छूट दी जाएगी । **3.** मुआवजा उपकर से छूट के योग्य होने के लिए, शर्त केवल यह है कि एम्बुलेंस को उपयुक्त रूप से सभी फिटमेंट, फर्नीचर और सहायक उपकरण जैसे किसी मोटर वाहन के रूप में फैक्टरी के निर्माण में एम्बुलेंस के लिए आवश्यक है होना चाहिए न कि कहीं और ।
89.	एचएस कोड **9021 40** से **9021 90** के अंतर्गत आने वाले माल हेतु जीएसटी दर क्या है ?	**1.** एचएस कोड **9021** के सभी माल पर **12%** जीएसटी लगता है । **2.** तथापि, सीजीएसटी/आईजीएसटी/एसजीएसटी दरों से संबंधित अधिसूचनाओं की अनुसूची **I** में संलग्न सूची **3** में निर्दिष्ट सहायक उपकरण पर **5%** जीएसटी लगता है । **3.** एचएस कोड **9021** के अंतर्गत आने वाले हियरिंग एड्स पर शून्य जीएसटी लगता है ।

90.	ऑफिस रिवॉल्विंग कुर्सियों हेतु एचएस कोड क्या है **?**	**1.** ऑफिस रिवॉल्विंग कुर्सियां एचएस कोड 9403 के अंतर्गत आती हैं। **2.** 15.11.2017 से पूर्व इन पर **28%** जीएसटी लगता था। **3.** 15.11.2017 से इन पर 18**%** जीएसटी लगता है । **[**अधिसूचना सं. 41/2017 केंद्रीय कर (दर)**]**
91.	पोर्टेबल और मोबाइल शौचालय हेतु जीएसटी दर क्या है **?**	**1.** पोर्टेबल और मोबाइल शौचालय पूर्वनिर्मित भवन शीर्षक 9406 के अंतर्गत आते हैं और उन पर **18%** जीएसटी लगता है ।
92.	राखी पर जीएसटी दर क्या है **?**	**1.** कलावा (रक्षा सूत्र) सहित पूजा सामग्री पर शून्य जीएसटी लगता है । **2.** राखी**,** जो कलावा (रक्षा सूत्र) के स्वरूप में है**,** पर शून्य जीएसटी लगता है । **3.** कोई अन्य राखी इसकी घटक सामग्री के अनुसार वर्गीकृत होगी और तद्नुसार इस पर जीएसटी लगेगा ।